एम एम कुमार और ए. एन. जिंदल के सामने, मुख्य न्यायाधीश

एस. क. *जैन, — याचिकाकर्ता*

बनाम

हरियाणा का राज्य और *अन्य — उत्तरदाता*

2007 का 12719, सीडब्ल्यूपी नंबर

17 अगस्त, 2007

भारत का संविधान, 1950 — अनुच्छेद 226 — मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 — धारा 31 (8) और 38 — राज्य निर्माण के कार्य का आवंटन एक ठेकेदार को करते हुए — समझौता — पार्टियों के बीच विवाद — आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को संदर्भित — याचिकाकर्ता दावा दायर करता हुआ - समझौते के खंड 25-A का उप-खंड (7) सुरक्षा जमा राशि की शर्त लगाता है मध्यस्थता के लिए विवाद को भेजने के लिए— ट्रिब्यूनल ने याचिकाकर्ता को निर्देशन दिया दावा की 7% कुल राशि को जमा करने के लिए — क्या ऐसा खंड 1996 अधिनियम का उल्लंघन करता है—आयोजित किया गया कि नहीं— पार्टियों के बीच स्वतंत्र इच्छा से किया गया समझौता तब तक उन पर बंधनकारक है जब तक यह नहीं दिखाया जाता है कि वह कानून के खिलाफ है — याचिका खारिज.

यह आयोजित किया गया कि, समझौते के खंड 25-ए के उप-खंड (7) से पता चलता है कि यदि ठेकेदार मध्यस्थता खंड का आह्वान करता है, तब उसे कार्यकारी इंजीनियर की संतुष्टि अनुसार सुरक्षा प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। प्रावधान में दिए गए विवरण से सुरक्षा जमा को निर्धारित किया जाएगा और याचिकाकर्ता को दावे की राशि का 7% जमा करना होगा। इस प्रकार, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि खंड किसी भी प्रकार कि कल्पना में भी लागत की राशि के भुगतान तक नहीं सीमित है।

(उपधारा *7)*

आगे आयोजित, कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 धारा 31 की उपधारा (8) का एक खंड यह बताता है कि प्रावधान समझौते के अभाव में लागत के लिए कार्य में लिया जा सकता है। किसी भी कानून के निर्माण के नियम के अनुसार समझौते के खंड 25-ए के उप-खंड (7) को लागत जमा करने के लिए प्रदान करने

वाले एक खंड के रूप में नहीं कहा जा सकता है। यह अलग बात है यदि समझौते का पूर्वोक्त खंड जिसके तहत सुरक्षा राशि जमा करना आवश्यक है, वह इस राशि से लागत के समायोजन प्रदान करता हो। इसलिए, अत्यधिक लागत प्रदान करने वाले समझौते भी किसी भी खंड की अनुपस्थिति में, अधिनियम की धारा 38 के

साथ पढ़ी गई धारा 31 की उपधारा (8) के तहत खंड की वैधता का निर्धारण करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। (उपधारा 8)

पुनीत **बाली,** अधिवक्ता, *याचिकाकर्ता* के लिए

निर्णय

म. म. कुमार, न्यायाधीश

(1) यह याचिका संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत मेमो नंबर 428, दिनांक 10 जनवरी, 2007 (अनुलग्नक पी -11) को समाप्त करने के लिए दायर की गई है, याचिकाकर्ता को रु। 1,81,14, 845 राशि जमा करने का निर्देश जो कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के समक्ष याचिकाकर्ता द्वारा दावा की गई कुल राशि का 7 प्रतिशत है (इसके बाद 'ट्रिब्यूनल' के रूप में जाना जाता है)।

(2) याचिकाकर्ता एक ठेकेदार है, जिसे काम आवंटित किया गया था सेक्टर 17, चंडीगढ़ में हरियाणा सरकारी कार्यालय भवन का निर्माण करने के लिए। 4 मार्च, 1992 को पार्टियों के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें किसी विवाद के मामले में मध्यस्थता के लिए प्रदान करने वाले खंड 25-ए के उप-खंड (7) को शामिल किया गया। पार्टियों के बीच आवंटित कार्य के संबंध में भुगतान के बारे में मतभेद उत्पन्न हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप तीन सदस्यों आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को विवाद का उल्लेख किया गया है। याचिकाकर्ता ने ट्रिब्यूनल के समक्ष दावा दायर किया। प्रतिवादी राज्य ने दावे पर अपनी आपत्ति दर्ज करते हुए मुख्य रूप से यह कहा कि कि ठेकेदार को समझौते के खंड 25-ए के दिनांक 4 मार्च, 1992 के उप-खंड (7) की अनिवार्य आवश्यकताओं का पालन करना है, जिसने याचिकाकर्ता को कुल दावे की राशि का 7% जमा करने के लिए बाध्य किया। गणना की गई राशि रु रु. 1,81,14,845 है। ट्रिब्यूनल ने आपत्ति को बरकरार रखा और सर्वोच्च न्यायालय के न**गर निगम, जबलपुर** *बनाम* **एम/एस रेजेश निर्माण कंपनी (१)** मामले के फैसले पर निर्भरता रखने के बाद उस पर विचार करके निम्नानुसार कहा: —

"सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बारे में उनका दृष्टिकोण, जैसा कि ऊपर बताया गया है जैसा प्रतिवादी की ओर से सुझाव दिया गया है, दावेदार को निर्देशित किया जाता है रुपये रूपिया 1,81,14,815 जमा करने के लिए यानी दावा राशि का 7%, उसके बाद ही मध्यस्थता की कार्यवाही आगे बढ़ेगी। दावेदार को पहले समझौते में दी गयी उपरोक्त शर्त का पालन करना होग तभी मध्यस्थता कार्यवाही आगे बढ़ायी जा सकती है। इसलिए, इस समय मध्यस्थों अपना अधिकार क्षेत्र मानके मध्यस्थता के साथ आगे नहीं बढ़ सजते। आपत्ति याचिका जो कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 16 के तहत विफल रही को अनुमति देते हुए, ऊपर के अनुसार आदेश दिया गया है."

(3) हमने श्री पुनीत बाली को याचिकाकर्ता के लिए परामर्श को काफी लंबाई में सुन लिया है। उन्होंने तर्क दिया है कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (संक्षिप्तता के लिए, 'अधिनियम') पार्टियों को अधिनियम के प्रावधानों से बाहर अनुबंध करने की अनुमति नहीं देता है और उस संबंध में उन्होंने निर्भरता रखी है माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पैराग्राफ 72, 73 और 74 पर मामले में **चेंट्रोटरदे खनिज और धातु इंक** *बनाम* **हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, (2)।** अधिवक्ता के अनुसार मध्यस्थता समझौता इसलिए, पार्टियों को अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए। अपने स्टैंड को

बेहतर करने के लिए, वकील ने तर्क दिया है कि धारा 31 (8) के साथ पढ़ी गयी अधिनियम की धारा 38 उस लागत को निर्धारित करता है जिसे याचिकाकर्ता द्वारा जमा किया जा सकता है और उसी को उचित होना चाहिए। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि लागत रु 20 लाख से अधिक नहीं हो सकती जबकि याचिकाकर्ता को रुपये 1,81,14,845, जो दावा की गई कुल राशि का 7% है जमा करने के लिए कहा गया है। उन्होंने यह दावा बनाए रखा है कि खंड 25-ए के उप-खंड (7) का सन्निवेश पूरी तरह से मनमाना, अनुचित होगा और इसलिए, यह अधिनियम की धारा 31 (8) और धारा 38 का उल्लंघन करती हुई घोषित किए जाने के लिए उत्तरदायी है।

(4) हमने अधिवक्ता द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण पर विचार किया है और इस नतीजे पर पहचे है कि इस याचिका में कोई योग्यता नहीं है। यह अच्छी तरह से तय है कि एक बार पार्टियों की स्वतंत्र इच्छा से एक समझौता किया गया है, तो यह उन पर बाध्यकारी है जब तक कि इसे कानून के खिलाफ नहीं दिखाया जाता है। यह 1861 में था जब सर हेनरी मेन ने अपने प्रसिद्ध काम 'प्राचीन कानून' में तुलनात्मक निष्कर्ष विकसित किया था कि प्रगतिशील समाजों का संचलन "अब तक स्थिति से अनुबंध तक रहा है"।यह उन्नति का समा 'अनुबंध' के साथ लगातार 'स्थिति' को विस्थापित करते हुए ने व्यक्ति को इकाई के रूप में उस समाज का हिस्सा बनाया जिसे समाज के सभी नागरिक कानून महत्व देते हैं। दूसरे शब्दों में, अनुबंध ऐसा जो एक और दूसरे व्यक्ति के बीच संबंधों की न्यायिक नींव बन गया हो ना की अधिकारों और कर्तव्यों में पारस्परिकता के वह रूप जिनका जन्म 'स्थिति' से हुआ हो,. "शुरुआत, एक टर्मिनस इतिहास के से", जैसा की मेन ने कहा, "हमें लगता है कि हम लगातार ऐसी सामाजिक व्यवस्था के चरण की ओर बढ़ रहे हैं जिसमें ये सभी संबंध व्यक्तियों के मुक्त समझौते से उत्पन्न होते हैं।उदाहरण के लिए, नीग्रो सर्विट्यूड के विषय में, मेन ने दिखाया कि कैसे की दास की स्थिति का अधिक्रमण को स्वामी और नौकर के संविदात्मक संबंध से हुआ। यह लगभग निश्चित माना जाता था कि राजनीति का विज्ञान जीवन के तथ्यों से मेल खाने में असफल हो जायेंगे अगर यह सच नहीं होता कि अनिवार्य कानून ने उस क्षेत्र का सबसे बड़ा हिस्सा छोड़ दिया जिस पर कभी उसका कब्ज़ा था और पुरुषों को खुद के लिए आचरण के नियमों का निर्वहन करने के लिए छोड़ दिया था जिसकी स्वतंत्रता अब तक उन्हें कभी नहीं दी गई। इस प्रकार, कानून व्यक्तियों को अनुबंध की अभूतपूर्व स्वतंत्रता अनुमति देने के लिए आया था। इसी तरह की दृष्टि रही है बॉम्बे हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच की **लखजी डोल्लाजी एंड कम्पनी** *बनाम* **बूरगु, (3)** मामले में। बेंच के लिए न्यायाधीश ब्यूमोंट ने बोला कि 'यह कहने के लिए एक चौंकाने वाली बात होगी की एक अद्वितीय व्यक्ति बैलमेंट के ऐसे अनुबंध में प्रवेश करने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं जैसा कि वे ठीक सोचते हैं'। **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया** *बनाम* **द हार्टफोर्ड फायर बीमा कंपनी. लिमिटेड, (4),** मामले में अनुबंध की स्वतंत्रता की अवधारणा उपधारा 5 में परिलक्षित की गयी है जिसके तहत यह कहा गया है: -

(5) अब यह आम बात है कि यह अदालत का कर्तव्य है कि पार्टीज़ के बीच हुए सौदे को उनके इरादे के अनुसार प्रभाव में लाना और जब वह सौदेबाजी लिखित रूप में होती है तो इरादा देखा जाना चाहिए जब तक वे ऐसे नहीं होते हैं कि इस्तेमाल किए गए शब्दों में संदेह हो कि वे इरादे को सही ढंग से व्यक्त नहीं करते हैं। यदि वे शब्द स्पष्ट हैं, तो बहुत कम है जो अदालत को करना है। कोर्ट हालांकि परिणाम को नापसंद करे पर उन्हें यह शब्दों के सादे अर्थ को प्रभाव देना चाहिए"

(5) उपर्युक्त दृष्टिकोण का पालन किया गया है और इसे स्वीकार किया गया उचतम न्यायालय के संविधान बेंच द्वारा **जनरल एश्योरेंस सोसायटी लिमिटेड** *बनाम* **चंदमूल जैन, (5)** मामले में। एक माननीय एम. हिदायतुल्लाह, न्यायाधीश ने बेंच की ओर से उपधारा **११,** के रूप में कहा की: —

"बीमा के अनुबंध से संबंधित दस्तावेजों की व्याख्या करने में, न्यायालय का कर्तव्य उन शब्दों की व्याख्या करना है जिनमें अनुबंध पार्टियों द्वारा व्यक्त किया जाता है, क्योंकि अनुबंध बनाना अदालत का काम नहीं है यदि पार्टीज़ ने अनुबंध ना बनाया हो। प्रस्ताव, पत्र स्वीकृति और कवर नोटों को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि अनुबंध आग के लिए मानक नीति के तहत बीमा और कवर बाढ़, चक्रवात आदि तक बढ़ाया गया है।"

(6) इस पृष्ठभूमि में हम याचिकाकर्ता के वकील द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण की सराहना कर सकते हैं। इस से पहले आवश्यक माना जाता है कि समझौते के खंड 25-ए के उप-खंड (7) को पढ़ें, जिसे पुन: प्रस्तुत किया जाता है यहाँ:

.

(3) आ. इ. र. 1939 बॉम्बे 101
(4) आ. इ. र .1965 स. सी. 1288
(5) आ. इ. र. 1966 स. सी 164

"(7) यह एक अनुबंध है जो इस अनुबंध समझौते से संबंधित है जहां मध्यस्थता को लागू करने वाली पार्टी यदि ठेकेदार है, तब मध्यस्थता के लिए कोई संदर्भ अनुरक्षणीय नहीं होगा जब तक ठेकेदार कार्यकारी इंजीनियर की संतुष्टि अनुसार सुरक्षा प्रस्तुत नहीं करता है, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार निर्धारित राशि की सुरक्षा जमा और जमा की गई राशि, मध्यस्थता कार्यवाही की समाप्ति पर लागत के खिलाफ समायोजित किया जाता है, यदि कोई हो, तो दावेदार पक्ष के खिलाफ मध्यस्थ द्वारा सम्मानित किया जाता है और ऐसी किसी भी लागत के अभाव में इस तरह के समायोजन के बाद शेष राशि, पूरी राशि उसे वापस कर दी जाएगी पुरस्कार की तारीख से एक महीने के भीतर :

दावे की राशि	**सुरक्षा जमा की दर**
(i) रुपये 10000 से नीचे वाले दावों के लिए	दावा राशि का 2%
(ii) रूपिये 10,000 से ऊपर और रु. 1,00,000 से नीचे के दावों के लिए	दावा राशि का 5%
(iii) रुपये। 1,00,000 और ऊपर राशि के दावों के लिए	दावा राशि का 7%

निर्णय की स्टांप शुल्क पार्टी द्वारा दिया जाएगा जितना मध्यस्थ द्वारा अभिलषित किया जाएगा और ऐसी पार्टी के डिफ़ॉल्ट की स्थिति में स्टांप शुल्क किसी अन्य राशि से वसूली योग्य होगा जो कि इस या किसी अन्य अनुबंध के तहत ऐसी पार्टी को प्राप्य होगा।"

(7) पूर्वोक्त खंड के अध्ययन से पता चलता है कि एक ठेकेदार अगर मध्यस्थता खंड का आह्वान करता है तो उसे कार्यकारी अभियंता-प्रभारी की संतुष्टि अनुसार सुरक्षा जमा प्रस्तुत करनी होगी। सुरक्षा जमा है प्रावधान में

दिए गए विवरण के अनुसार निर्धारित किया जाना है और याचिकाकर्ता को दावा की गई राशि का 7% जमा करना होगा। इस प्रकार, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि कल्पना के किसी भी खंड द्वारा खंड सीमित नहीं है भुगतान की राशि का भुगतान। यह एक अलग मामला है अगर यह खंड चिंतन करता है लागत के प्रति सुरक्षा के रूप में भुगतान की गई राशि का समायोजन का, इन तथ्यों में और परिस्थितियों में, हमें

अधिनियम की धारा 31 का खंड (8) और धारा 38 के सन्दर्भ में समझौते के खंड 25-ए *(सुपरा)* के उप-खंड (7) की जांच करने की आवश्यकता है। धारा 31 की उपधारा (8) और धारा 38 संदर्भ के लिए नीचे निकाली गई है-

"31. मध्यस्थ पुरस्कार की सामग्री और सामग्री से:-

1. से (7) xx xx xx xx xx xx xx xx

(8) जब तक अन्यथा पार्टियों द्वारा सहमति नहीं दी जाती:-

(a) मध्यस्थता की लागत मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा तय की जाएगी ;

(b) मध्यस्थ न्यायाधिकरण

निर्दिष्ट करेगा –

(1) पार्टी जो लागत के हकदार हैं।

(2) पार्टी जो लागत देगी

(3) उस लागत को निर्धारित करने की लागत या विधि की राशि, और

(4) जिस तरीके से लागत का भुगतान किया जाएगा.

स्पष्टीकरण। — खंड (ए), "लागत" के उद्देश्य से — लागत का मतलब उचित लागत से संबंधित का -

(i) मध्यस्थ और गवाहों की फीस और खर्च,

(ii)कानूनी शुल्क और व्यय,

(iii) मध्यस्थता पर्यवेक्षण करने वाले संस्थान का कोई भी प्रशासन शुल्क, और

(iii) मध्यस्थ कार्यवाही और मध्यस्थ पुरस्कार के संबंध में किए गए किसी भी अन्य खर्च

x x x x x x x x x

"**38. जमा। — (1)** मध्यस्थ न्यायाधिकरण जमा या पूरक जमा राशि तय कर सकता है जैसा भी मामला हो, धारा 31 उप-खंड (8) रूप में निर्दिष्ट लागतों के अनुभाग के रूप में, जो उम्मीद करता है कि ख़र्च किया जाएगा दावे के संबंध जिसे इसे प्रस्तुत किया गया :

बशर्ते, कि जहां दावे के अलावा, एक प्रति-दावा किया गया हो मध्यस्थ न्यायाधिकरण को प्रस्तुत किया गया, अलग से जमा राशि तय कर सकता है दावे और काउंटर दावे के लिए।

(2) xxx xxx xxx xxx

(3) xxx xxx xxx xxx"

(8) धारा 31 के उप-धारा (8) का एक खंड यह बताता है कि प्रावधान लागत के संबंध में समझौते की अनुपस्थिति में संचालित करना है। समझौते के खंड 25-ए के निर्माण उप-खंड (7) के किसी भी कैनन द्वारा *(Supra)* लागत जमा करने के लिए प्रदान करने वाले खंड के रूप में नहीं कहा जा सकता है। यह अलग मामला है अगर समझौते के पूर्वोक्त खंड ने सुरक्षा राशि से लागत का समायोजन का हक़ प्रदान किया है के लिए जो राशि उस खंड के तहत जमा होना आवश्यक है। इसलिए, अत्यधिक लागत उपलब्ध करने वाले समझौता में किसी भी खंड की अनुपस्थिति में, धारा 31 के तहत उप-खंड (8) की वैधता को निर्धारण करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(9) इसके अलावा, एम / एस राजेश निर्माण कंपनी मामले में उच्चतम न्यायालय के माननीयों आधिपत्य *(Supra)* द्वारा इसी समान एक खंड को बरकरार रखा गया निम्नानुसार अवलोकन किया :

"20. खण्ड 29 विशेष रूप से निर्धारित करता है, जैसा कि पहले यहां बताया गया है, यदि पार्टियों, पार्टी के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, जो पार्टी मध्यस्थता खंड का आह्वान करती है, वह पहले मुख्य अभियंता के पास जाएगा और विवाद की मध्यस्थता करने में उनकी विफलता पर पार्टी एमपीएल कॉम के समक्ष अपील दायर कर सकती है जिसके विफल होने पर, निगम विवाद हल करने के लिए एक मध्यस्थता बोर्ड का गठन करेगा खंड 29 में इंगित तरीके के अनुसार। तथापि, ऐसा करने से पहले, पार्टी जो मध्यस्थता खंड को लागू करने वाली है, वह अनिवार्य रूप से सुरक्षा राशि प्रस्तुत करेगी जो कि निगम द्वारा निर्धारित की गयी है।

एस.के. जैन बनाम हरियाणा का राज्य और अन्य
(M.M. कुमार, न्यायाधीश)

21. इस मामले में, माना जाता है कि सुरक्षा राशि उत्तरदाताओ द्वारा निगम के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गयी है। हमने, वास्तव में, श्री शर्मा, उत्तरदाताओ के अधिवक्ता से पूछा की अपील की सुनवाई की तारीख पर पता लगाए कि सुरक्षा जमा दिया गया है या नहीं। निर्देश पर, श्री शर्मा ने हमें

सूचित किया ऐसी सुरक्षा अभी तक जमा नहीं की गई है। ऐसी स्थिति होना पर हम आज भी मानते है की हम निगम का दायित्व हैं पार्टीज़ के बीच विवादों को हल करने के लिए एक मध्यस्थता बोर्ड का गठन करना क्यूँकि प्रतिवादी सुरक्षा जमा जो अनुबंध के खंड 29 (डी) में परिकल्पित है, उसे जमा करने में विफल रहे। इसलिए, हमारी राय है, कि प्रतिवादी द्वारा सुरक्षा की गैर-मंथन, के सवाल पर निगम द्वारा एक मध्यस्थता बोर्ड का गठन करना बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं हो सकता। तदनुसार, हम मानते हैं कि उच्च न्यायालय सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को आदेश द्वारा मध्यस्थ नियुक्त करने में सही ना रहा।

(10) इस मुद्दे पर पहले एक डिवीजन बेंच द्वारा विचार किया गया है के मामले में इस न्यायालय के **राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम सीमित और दूसरा** *बनाम* **हरियाणा राज्य और एक अन्य (C.W.P. 2006 की संख्या 19065, 9 जनवरी, 2007 को तय की गई)** जिसमें शामिल थे हम में से एक (एम. म. कुमार न्यायाधीश)। वहाँ भी इस समान खंड की वैधता भी को बरकरार रखा। डिवीजन बेंच ने ऐसे ही समान खंड के मामले पर काम करते समय माना कि मानक रूप में इस तरह के खंडों के अंतर्निहित एक प्रशंसनीय वस्तु है क्यूँकि यह ठेकेदार द्वारा तुच्छ दावों को दायर करने को हतोत्साहित करता है।

(11) उपरोक्त के मद्देनजर, याचिका पूरी तरह से गलत है और इसे खारिज किया जाता है।

आर. एन. आर.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अरुणिमा चौहान
प्रशिक्षु न्यशियक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
पंचकुला, हरियाणा